भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1886
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के लिए हवाई यात्रा किराये की सुविधा

1886. श्री माथेश्वरन वी.एस :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्ष 2010 से अब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई विदेश यात्राओं के लिए सरकार द्वारा हवाई यात्रा किराए पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;
(ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विदेश यात्रा के लिए केन्द्रीय सरकार, किस उपबंध या नियम के अधीन हवाई यात्रा किराए पर व्यय कर रही है ; और
(ग) क्या सरकार विदेश दौरे पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पति या पत्नी को डी.ए. भी प्रदान करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी नियम का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके पति/पत्नी द्वारा की गई आधिकारिक विदेश यात्रा का हवाई यात्रा किराया और मंहगाई भत्ता (डी.ए) पर होने वाला व्यय, विदेश दौरा/अस्थाई कर्तव्य के दौरान संदत्त मंहगाई भत्ता से संबंधित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार में, भारत के उच्चतम न्यायलय के बजटीय आंवटन से किया जाता है ।

****